प्रकरण संख्या 73/2019 2019/00017 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. राजवीर } पिसरान शोले
2. बटुआ }
3. प्रहलाद }
4. प्रेमराज } पिसरान तुईया
5. रमेश }

जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा ग्राम डांडा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 तक के खाता संख्या 427 किस्म तालाबी–1 से श्री रत्ती पुत्र श्री काना गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में जरिये विरासत राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, प्रेमराज, रमेश पिसरान तुईया जाति गूजर गैरखातेदार निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2030–33, 2068–71, 2072–75, नामांतरकरण संख्या 51 दिनांक 29.03.1971, नामांतरकरण संख्या 13 दिनांक 16.12.1988, नामांतरकरण संख्या 74 दिनांक 10.12.2004, नामांतरकरण संख्या 115 दिनांक 21.07.2014, नामांतरकरण संख्या 167 दिनांक 20.09.2017 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण का रेफरेन्स गलत रूप से बनाया गया है। आराजी खसरा नंबर 101 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम नवलापुरा तहसील मासलपुर में स्थित है जिसको गैर सायलान पचासों साल से काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काबिज है। उक्त जमीन कभी भी तालाबी नहीं रही है। ना ही तालाब के रूप में काम आती है। ना ही पानी भरता है। मौके पर समतल जमीन है। उक्त

जिला कलक्टर
करौली

जमीन को कागज काश्त बनाने में लाखो रूपया व जिस्मानी मेहनत की है। रबी व खरीफ की फसल काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी मौके पर काबिज है। इसकी तालाबी किस्म गलत दर्ज की गई है। मौका देखा जावे। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 तक के खाता संख्या 427 किस्म तालाबी–1 से श्री रत्ती पुत्र श्री काना गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में जरिये विरासत राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, प्रेमराज, रमेश पिसरान तुईया जाति गूजर गैरखातेदार निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि उपरोक्त प्रकरण का रेफरेन्स गलत रूप से बनाया गया है। आराजी खसरा नंबर 101 रकवा 18 विस्वा वाके ग्राम नवलापुरा को गैर सायलान पचासों साल से काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर काबिज है। उक्त जमीन कभी भी तालाबी नहीं रही है। ना ही तालाब के रूप में काम आती है। ना ही पानी भरता है। मौके पर समतल जमीन है। उक्त जमीन को कागज काश्त बनाने में लाखो रूपया व जिस्मानी मेहनत की है। इसकी तालाबी किस्म गलत दर्ज की गई है। मौका देखा जावे। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अव्वल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 तक के खाता संख्या 427 किस्म तालाबी–1 से श्री रत्ती पुत्र श्री काना गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में जरिये विरासत राजवीर, बटुआ पिसरान शोले, प्रहलाद, प्रेमराज, रमेश पिसरान तुईया जाति गूजर गैरखातेदार निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी अव्वल दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित

जिला कलक्टर
करौली

याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा की आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0–18 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी–1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली